भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1802

जिसका उत्तर 05.12.2024 को दिया जाना है

किसानों को मुआवजा

1802. श्री रमाशंकर राजभर:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सड़क परियोजनाओं के लिए किसानों के भूमि अधिग्रहण पर उन्हें मुआवजा दिए जाने से संबंधित प्रावधानों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या देवरिया जिले के सलेमपुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-727ए, 727बी के लिए मुआवजे का भुगतान वर्ष 2024 के सर्किल रेट पर किया जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग-727ए के संरेखण में परिवर्तन किया गया है जिससे मकानों को तोड़ा जा रहा है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या यह नगरीय ग्रामों से पृथक अर्ध-शहरी और विशेष ग्रामों के निर्माण नियमों के अनुरूप है, यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) क्या किसान के गाटा को इकाई मानकर 101 एकड़ से अधिक भूमि पर 2/3 की कटौती की जा रही है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास और रखरखाव के लिए भूमि का अधिग्रहण राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत किया जाता है। भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (आरएफसीटीएलएआरआर) अधिनियम, 2013 की पहली अनुसूची के प्रावधानों के अनुसार मुआवजे का निर्धारण, इसकी दूसरी अनुसूची के अनुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन और तीसरी अनुसूची के अनुसार बुनियादी सुविधाओं का निर्धारण किया जाता है।

(ख) बाजार मूल्य का निर्धारण भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3क के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तिथि पर सर्किल रेट के आधार पर किया गया है, जो इस मामले में 2020 है।

(ग) प्रस्तावित बाईपास के संरेखण को इंडियन ऑयल कारपोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) के अनुरोध के आधार पर संशोधित किया गया था क्योंकि आईओसीएल की भूमिगत पाइपलाइन कई बिंदुओं पर प्रस्तावित संरेखण को ओवरलैप कर रही थी और/या क्रॉस कर रही थी। संशोधित संरेखण को भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी) और

आईओसीएल के दिशानिर्देशों द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार डिजाइन किया गया था, जिसमें आईओसीएल पाइपलाइन और प्रस्तावित बाईपास की ज्यामिति की सुरक्षा को ध्यान में रखा गया था।

(घ) भूमि अधिग्रहण के लिए सक्षम प्राधिकारी (सीएएलए) द्वारा सूचित किया गया है कि देवरिया जिले में शहरी गांवों के अलावा अर्ध-शहरी और विशेष गांवों के लिए सर्किल दरें दिनांक 13.08.2020 को अधिसूचित की गई थीं।

(ड.) सीएएलए ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के लिए दिनांक 13.08.2020 को घोषित जिला सर्किल दरों के अनुसार, कृषि भूमि का मूल्यांकन निम्नलिखित मानदंडों के अनुसार किया गया है:

क्र.सं.	**क्षेत्रफल (हैक्टेयर में)**	**मूल्यांकन ***
1.	0.00 हेक्टेयर से 0.1010 हेक्टेयर	संबंधित स्थान की कृषि भूमि के मूल्यांकन के लिए निर्धारित प्रासंगिक दर के अनुसार
2.	0.1010 हेक्टेयर से अधिक	0.1010 हेक्टेयर तक के क्षेत्रफल का मूल्यांकन उपरोक्त क्रम संख्या एक (1) के अनुसार किया जाएगा तथा शेष भूमि का मूल्यांकन उस स्थान पर निर्धारित दर के 1/3 के अनुसार किया जाएगा।

*एक भूखंड को एक इकाई माना गया है

*****